इटावा पुलिस

#OPERATION CONVICTION

प्रेस नोट दिनांक-28.03.2024

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या करने वाले कुल 04 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी आजीवन कारावास की सजा तथा प्रत्येक को 8,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड एवं 02 अभियुक्तों को अन्तर्गत धारा 25/27 आर्म्स एक्ट मे 03-03 वर्ष की सजा व 3,000 - 3,000/-रुपये का दिया गया अर्थदण्ड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना बढ़पुरा व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या करने वाले अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी आजीवन कारावास की सजा तथा प्रत्येक को 8,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड एवं 02 अभियुक्तों को अन्तर्गत धारा 25/27 आर्म्स एक्ट मे 03-03 वर्ष की सजा व 3,000 - 3,000/-रुपये का दिया गया अर्थदण्ड।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 02.11.2011 को **थाना बढपुरा पर** वादी उम्मेद सिंह पुत्र मुकुट सिंह निवासी ग्राम पूठन, थाना बढ़पुरा, इटावा की तहरीर के आधार पर अभियुक्तगणों द्वारा एकराय होकर वादी के पुत्र राजेश की गोली मारकर हत्या कर देना व वादी को जान से मारने की धमकी देने के संबंध मे **104/11 धारा 147/148/149/303/506/34 भादवि** पंजीकृत किया गया। एवं अभियुक्तों से बरामद अवैध असलहे के संबंध मे **मु0अ0स0 110/11,111/11 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट** बनाम सुरजीत उर्फ गौसे पुत्र प्रेम सिंह व नीरज पुत्र रामलखन पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी थानाध्यक्ष बढ़पुरा श्री उत्तम चन्द पटेल द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना बढ़पुरा पुलिस टीम पैरोकार का0 अक्षय मोदी एवं मानीटरिंग सैल व ए0डी0जी0सी0 देवेन्द्र तिवारी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तों को **आज दिनांक 28.03.2024 को अन्तर्गत धारा 147/149/302/506 भादवि में मा0 न्यायालय श्रीमान ADJ I इटावा द्वारा आजीवन कारावास की सजा तथा प्रत्येक को 8,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड एवं अन्तर्गत धारा 25/27 आर्म्स एक्ट मे 02 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष की सजा व 3,000 - 3,000/-रुपये का दिया गया अर्थदण्ड।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. जितेन्द्र पुत्र रामनरेश निवासी ग्राम पूठन थाना बढ़पुरा जनपद इटावा।
2. नीरज पुत्र रामलखन निवासी उपरोक्त।
3. देवेन्द्र सिंह पुत्र रामकिशोर निवासी उपरोक्त।
4. सुरजीत उर्फ गौसे पुत्र प्रेम सिंह निवासी उपरोक्त।